ORDER SHEET

18/3/20 आरक्षी केन्द्र बेटमा इंदौर की ओर से आरक्षक राकेश क्रमांक ____ द्वारा इस्तगासा क्रमांक 02/20 में आरोपी अनिल शर्मा पिता अजय शर्मा उम्र 36 वर्ष निवासी– Dr 60 मालोकनगर इंदौर ____ म.प्र. के विरुद्ध 185 मोटर यान अधिनियम के अंतर्गत यह अभियोगपत्र प्रस्तुत किया।

अभियोग पत्र का परिशीलन किया गया अभियुक्त के विरुद्ध धारा 185 मोटर यान अधिनियम के अंतर्गत मामले का संज्ञान लिया गया। प्रकरण विधिवत केन्द्रीय आपराधिक पंजी में पंजीबद्ध किये जाने हेतु केन्द्रिय पंजीयन कक्ष में भेजा जावे।

अभियुक्त आज स्वयं उपस्थित है। श्री बी.आर. पटेल अधिवक्ता ... पेश/विचारण/ उसने प्रकट किया कि वह स्वयं अपना पक्ष समर्थन करते हुये अपराध स्वीकोरक्ति करना चाहता है।

तदनुसार संक्षिप्त विचारण प्रकिया अपनाते हुये संक्षिप्त विचारण संबंधी प्रपत्र पर अभियुक्त का धारा 185 मोटर यान अधिनियम के अंतर्गत अपराध की विशिष्टियाँ विरचित कर पढकर सुनाये जाने पर आरोपी/गण ने स्वेच्छया से उपरोक्त अपराध करना स्वीकार किया। स्वीकारोक्ति के आधार पर अभियुक्त को धारा 185 मोटर यान अधिनियम के तहत दोषसिद्ध ठहराया जाकर अभियुक्त को धारा 185 मोटर यान अधिनियम में रु.10,000/- रुपये (दस हजार) इस प्रकार कुल 10,000/- (अक्षरी दस हजार) रुपये अर्थदण्ड से दंडित किया गया। अर्थदण्ड की राशि अदा न करने पर आरोपी को 15 दिवस का सश्रम कारावास भुगताया जावे।

आरोपी द्वारा अर्थदण्ड की राशि ऑन लाईन ट्रेजरी चालान क्रमांक 0070-5762 पर जमा की गई। CRN- MPT007018032020000110

प्रकरण का परिणाम विधिवत केन्द्रीय आपराधिक पंजी में दर्ज कर प्रकरण विहित समयावधि में अभिलेखागार भेजा जावे।

(श्री दिनेश मीणा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
देपालपुर, जिला इंदौर (म.प्र.)

Scanned with CamScanner